

भारत का संज्ञपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 1980/आश्विन 30, 1902
No. 198] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 22, 1980/ASVINA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1980

सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू०-42/80

सार्वजनिक सूचना

का० सं० 600/3617/79-प्रतिप्रदायगी (भाग).--सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
प्रतिप्रदायगी नियम 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में
प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय

सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 3617 की मद (ख) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
(ग) इस्पात के वेल्ड किए हुए मैसे-वेल्ड किए हुए तार मैसे-मालचिनीकृत ।	556/- रुपए (केवल पांच सौ छपन रुपए) प्रति मी० टन ।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1979 से लागू हुई समझी जाएगी और 18 सितम्बर, 1980 तक वैध रहेगी ।

महेश कुमार, भवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

INDIRECT TAXES DIVISION

New Delhi, the 22nd October, 1980

No. DRAWBACK/PN-42/80

PUBLIC NOTICE

F. No. 600/3617/79-DBK(Pt.)—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

After item (B) of Sub-serial No. 3617 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

Description of goods	Rate of Drawback
(C) Steel Welded mesh—Welded wire mesh—Galvanised.	Rs. 556/- (Rupees five hundred and fifty six only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st Day of June, 1979 and shall be valid till 18-9-1980.

MAHESH KUMAR, Under Secy.